

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 एवं 2

नदी तट वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

राज्य शासन साल बीज संग्रहण वर्ष 2005 में साल बीज के व्यापार में हुए घाटे की शेष राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 26.50 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 26,50,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

नंदनवन (मिनी चिडियाघर) के विस्तार हेतु निजी भूमि के अर्जन हेतु रूपये 55.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान किया गया है ।